फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत तहसीलदार (राजस्व) मुकाम नोहर सरकार बनाम जबार खाँ पुत्र श्री अली मोहम्मद जाति मुसलमान साकिन नोहर किस्म मुकदमा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत

मु0नं0 **2025/1**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
06.06.2025	पटवारी हल्का चक सरदारपुरा ने चक 15 बारानी के प.न. 315/431 (3) के किला नम्बर 1/1 रक्बा 0.025 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अप्रार्थी जबार खाँ पुत्र श्री अली मोहम्मद जाति मुसलमान साकिन नोहर द्वारा 0.001672 हैक्टेयर भूमि पर कच्चा कमरा बना कर अतिकमण करने की रिर्पोट पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गयी। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को राज.उप.अधि. 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस जारी किया जाकर पत्रावली दिनांक 11.06.2025 को पेश हो। [हस्ताक्षर]	नोटिस संख्या 669 दिनांक 06.06.2025
11/6/25	पत्रावली आज दिनांक तारीख पेशी में ली गई। रौही मौजा 15 बारानी के प.न. 315/431 (3) के किला नम्बर 1/1 रक्बा 0.025 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि मे से अप्रार्थी जबार खाँ द्वारा कच्चा मकान बनाकर (15 X 12 फुट) यानि 0.001672 हैक्टेयर नाजायज रूप से अतिचार रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा पेश करने पर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया नोटिस का जवाब अप्रार्थी द्वारा पेश किया जो संतोषजनक प्रतित नही होता है। अतः पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार जबार खाँ द्वारा किया गया अतिक्रमण प्रमाणित होती है। अतिक्रमी को गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर से बेदखली आदेश जारी हो विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर सामिल मिसल हो। [हस्ताक्षर]	ZLR, प.ह. चक सरदारपुरा बेदखली आदेश 715 11/6/25

न्यायालय नायब तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी – **संजीव कुमार**

प्रकरण संख्याः– 2025/1

राज. सरकार

बनाम

जबार खाँ पुत्र अली मोहम्मद जाति मुसलमान साकिन नोहर।

अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांकः– 12.06.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का चक सरदारपुरा ने एक रिर्पोट पी–14 में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी जबार खाँ पुत्र अली मोहम्मद जाति मुसलमान साकिन नोहर द्वारा रौही मौजा 15 बारानी के प.न. 315/431 (3) के किला नम्बर 1/1 रक्बा 0.025 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता के नाम दर्ज है पर अप्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते की भूमि पर कच्चा मकान बनाकर (15 X 12 फुट) यानि 0.001672 हैक्टेयर अकृषि योग्य भूमि पर अतिक्रमण संबंधी रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त होने पर अप्रार्थी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 22 राज. उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज. उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत हेतुक दर्शित के लिये सूचना संख्यांक–4 नोटिस दिया गया जो अप्रार्थी स्वंय से तामिल होकर प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया कि "मेरी कृषि भूमि के उतर दिशा में सींव पर यह रास्ता चालु है जबकि प्रार्थी द्वारा रास्ता कोई अवरूद्ध नही कर रखा है जो कि करीब 50 वर्षो से यही रास्ता चालु है प्रार्थी द्वारा पुराना कच्चा मकान बना हुआ है जो कि रास्ते की निशान देही में आता है तो उसे प्रार्थी द्वारा हटा लिया जावेगा।" अप्रार्थी का जवाब शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया गया अप्रार्थी द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक प्रतीत नही होता है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी द्वारा अकृषि योग्य गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अप्रार्थी जबार खाँ द्वारा प्रश्नगत भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

भू अभिलेख निरीक्षक चक सरदारपुरा को आदेश जारी हो कि प्रश्नगत भूमि पर से नाजायज रूप से बने कच्चे मकान (15 X 12 फुट) यानि 0.001672 हैक्टेयर को ध्वस्त कर गैर मुमकिन रास्ते से अतिक्रमी जबार खाँ को मौके से बेदखल कर अलग से बेदखली रिर्पोट पेश करे

निर्णय आज दिनांक 12.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(संजीव कुमार)
नायब तहसीलदार (राजस्व)
नोहर
जिला हनुमानगढ

O/C

कार्यालय तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक / राजस्व / 2025 / 716

दिनांकः— 12.06.2025

कार्यालय आदेश

इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 2021 / 1 में निर्णय दिनांक 11.06.2025 के द्वारा जबार खाँ पुत्र अली मोहम्मद जाति मुसलमान साकिन नोहर को रौही मौजा 15 बारानी के प.न. 315 / 431 (3) के किला नम्बर 1 / 1 रक्बा 0.025 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर कच्चा मकान (15 X 12 फुट) यानि 0.001672 हैक्टेयर पर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी धोषित किया जाकर अतिक्रमी को बेदखली आदेश दिया गया है।

अतः उक्त अतिक्रमी को विवादित भूमि में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तुरन्त नियमानुसार बेदखल कर पालना रिपोर्ट आगामी दिनांक 16 .06.2025 तक हर सुरत में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः—

1. भू.अभिलेख निरीक्षक चक सरदारपुरा / प.ह. चकसरदारपुरा को भेजकर लेख है कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर फर्द मौका पेश करें।

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जि. हनुमानगढ़

O/C

16/6/25

राजस्व
19/6/25

फर्द-मौका

आज दि० 16.06.25 को श्रीमान तहसीलदार (राजस्व) साहब नोहर के आ०क्र० राजस्व/25/715 दि० 12.06.25 की पालना में रोही मौजा 1NHR-B ~~25 बालमी~~ के प.न. 315/431 (3) ए, रकबा 0.025 है० गै.मु. रास्ता पर कच्चा कमरा बनाकर 0.001672 है० भूमि में किए गए अतिक्रमण को हटाया गया तथा अवरुद्ध रास्ता से अतिक्रमी को बे-दखल कर रास्ता चालू करवाया गया। फर्द-मौका मौके पर तैयार कर सुनाया गया व मौतबिरान के हस्ताक्षर करवाये गये।

[signature] [signature]
प० नकसरदारपुरा ILR-नज सरदारपुरा

[signature]

गुलाम हुसैन

मो० रफी

[signature]

[signature]